डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 55] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 मार्च 2001—चैत्र 6, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2001

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 4 सन् 2000)

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (विशेष उपबंध) विधेयक, 2001

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) में विशेष उपबंध के समावेश हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित हो :—

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2001 है. संक्षिप्त नाम.

जहां स्टाक में रखा गया कोई माल :—

(i) कर संदत्त माल है, वहां ऐसे माल की क्रय या विक्रय कीमत पर पुनः कोई कर उद्ग्रहणीय नहीं होगा.

(ii) औद्योगिक इकाइयों को रियायत प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अंतर्गत समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के अधीन, कर के भुगतान से छूट के लिए पात्र नई औद्योगिक इकाइयों द्वारा विनिर्मित किया गया माल है और उस प्रयोजन के लिए ऐसी इकाई उक्त अधिसूचनाओं के अधीन पात्रता प्रमाण-पत्र धारण करती हो, वहां यथास्थिति, ऐसे माल के क्रय या विक्रय

1 नवम्बर 2000 को प्रारंभिक स्टाक में रहे माल पर कर का उद्ग्रहण तथा मुजराई की हकदारी हेतु विशेष उपबंध.

की कीमत पर किसी कर का भुगतान नहीं किया जाएगा.

परन्तु, ऐसा व्यापारी, जो ऐसे माल पर छूट का दावा करता है, उक्त अधिसूचना में विहित निबंधनों तथा शर्तों, जिसके अधीन छूट का दावा किया जा रहा है, का पालन करेगा.

2. जहां छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 की अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट माल को छोड़कर स्टाक में रखा गया कोई माल कर संदत्त माल है और ऐसा माल ऐसी तारीख पर या उसके पश्चात् अन्य माल के विक्रय के लिए विनिर्माण में कच्चा माल या आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग किया जाता है, वहां व्यापारी उक्त अधिनियम की धारा-13, तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के, अध्यधीन मुजराई करने के दावे का पात्र होगा.

व्यापारियों का रजिस्ट्रीकरण.

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन 31 अक्टूबर 2000 को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारी ऐसे व्यापारी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के फलस्वरूप पृथक् से पंजीयन प्राप्त करना चाहते हैं, सक्षम वाणिज्यिक कर अधिकारी को 31 दिसम्बर 2000 तक आवेदन कर सकते हैं और व्यापारी के विकल्प पर जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र एक नवम्बर 2000 से प्रभावी होगा.

कतिपय शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का अर्थ.

इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जैसा उनके लिए छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक-5 सन् 1995) में समनुदेशित किया गया है.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

दिनांक 1-11-2000 को राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप, छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया. अविभाजित मध्यप्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयत व्यवसायियों पर छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के उपरान्त, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दोहरा करारोपण नहीं हो, तथा निर्माता व्यवसायियों को कर चुके माल के संबंध में प्रावधानों के अनुसार मुजराई प्राप्त होती रहे, तथा पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश की कर मुक्त औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्मित माल जो दिनांक 31-10-2000 को स्कंध के रूप में धारित था, दिनांक 31-10-2000 के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य में भी निरंतर कर मुक्त मान्य हो सके एवं छत्तीसगढ़ राज्य में डिपो स्थापित करने के इच्छुक व्यवसायी, जो 30 दिवस की निर्दिष्ट समयावधि में पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके थे, को छत्तीसगढ़ राज्य में सक्षम वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष दिनांक 31-12-2000 तक आवेदन प्रस्तुत करने का अतिरिक्त अवसर मिल सके तथा व्यवसायी द्वारा विकल्प दिये जाने पर ऐसा पंजीयन प्रमाण-पत्र दिनांक 1-11-2000 से प्रभावशील मान्य किया जा सके, इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (विशेष उपबंध) विधेयक, 2001 प्रख्यापित किया जा रहा है. चूंकि विधान सभा का सत्र चालू नहीं था. अतः अध्यादेश जारी करना आवश्यक था.

2. अतएव विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक 14 मार्च, 2001

रामचन्द्र सिंह देव
भारसाधक सदस्य

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.